

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 687

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

दिनांक : 12/9/2024

विषय :- शाहाबाद से राजपुर तक सड़क निर्माण हेतु 4.00 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।


Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/30083/2017

प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 14()2018/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./2070-71 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	पालना नहीं। वर्तमान शाहाबाद से राजपुर वाया मुण्डियर सड़क मार्ग उपलब्ध है, तो शाहाबाद से राजपुर सड़क मार्ग के नवीन प्रस्ताव की औचित्यता तकनीकी, ट्रेफिक डाटा, सामाजिक आधार पर यूजर ऐजेन्सी से लिया जाना प्रस्तावित है।	शाहाबाद से राजपुर सीधे सड़क से जोड़ने पर 7.0 कि.मी. लम्बाई है। इस सड़क के बनने के उपरान्त 2500 PCU ट्राफिक हो जायेगा तथा अभी राजपुर से शाहाबाद मुण्डियर होकर यातायात आता है। जिसे करीब 20.00 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ती है। राजपुर सीधा शाहाबाद मुख्यालय से जुड़ने पर चिकित्सा सुविधा, कॉलेज शिक्षा आदि की सुविधाओं में बढ़ावा मिलेगा तथा राजपुर के आसपास के करीब 20 गांवों को लाभ मिलेगा।
2	पालना नहीं प्रस्ताव में पार्ट II में पूर्व उप वन संरक्षक बारां की अभिशंषा संलग्न है। अतः उप वन संरक्षक की नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अभिशंषा के साथ ऑनलाईन पार्ट II में भर जाकर संशोधित पार्ट II प्रस्तुत करें।	श्रीमान् द्वारा ही अनुपालना की जानी है।
3	अपूर्ण पालना। मुख्य वन संरक्षक, कोटा उक्त स्थल का निरीक्षण कर स्वयं का निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा ही अनुपालना की जानी है।
4	पालना नहीं। प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.08.2023 की पालना भी भिजवाया जाना संनिश्चित करें।	श्रीमान् के पत्रांक 28.08.2023 की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 01.09.2023 द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी, परन्तु अब पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 676 दिनांक 10.09.2024 द्वारा भिजवायी जा रही है।
5	मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित पार्ट III में वन (संरक्षक एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना दर्शाया गया है। ऑनलाईन आवेदन में पार्ट I, पार्ट II में पूर्ण विवरण प्रेषित कर प्रस्ताव भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	श्रीमान् द्वारा ही अनुपालना की जानी है।


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 676

दिनांक 10/9/2024

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय:- EDS Reply

कार्य का नाम:- शाहाबाद से राजपुर सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं.- FP/RJ/Road/30083/2017 (4.00 Ha.)

प्रसंग:- श्रीमान् का पत्रांक एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/8516

दिनांक 28.08.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 01.09.2023 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों की

पूर्ति बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	बिन्दु	प्रतिउत्तर
1.	NPV rates are not taken as per crop density.	It is pertain to the DCF Baran.
2.	As per part II, rare and endangered flora and fauna found in the area but not mention in site inspection report. Although mitigate measure for the species have not been taken.	It is pertain to the DCF Baran.
3.	CA scheme is provided for 9252348 for 4 ha which is more than prescribe model while estimate provide for 2313087 only. 32.19 ha non forest land has been provided under different road proposals in different patches. It would be better to make scheme patch wise and charge accordingly.	It is pertain to the DCF Baran.
4.	DCF has not been mention legal status of proposed forest land and justification for recommendation.	It is pertain to the DCF Baran.
5.	As per available KML files, partial area of NFL comes under notified forest area.	Correction in KML has been done.

	The proposed forest land falling inside the forest block santora and Rajpur C but copy of notification of shahabad is uploaded. Justified it.	Santora & Rajpur C forest block notification has been upload.
7.	Alternative routes are not taken properly. KML file of the alternative routes is to be provided.	proper alternate route has been make & uploaded.
8.	Employment details are fictitious.	Proper employment details has been done.
9.	The proposal is falling inside the conservation reserve. Please attach copy of approval of Chief Wild Life Warden.	It is pertain to the DCF Baran.
10.	DCF has taken 6 feet wall along the road which is not as per wildlife management. CCF must reconsider and comment accordingly.	6 feet B/wall is not justified and cost of project will be so much high. So please wall cost is remove from it project.
11.	Project cost is 300 lacs but as per imposed levies by DCF is more than 300 lacs. How the project is feasible? Project cost should be revised.	The sanction amount of the project is 300 lacs and DCF proposed in 6 feet hight wall & 3-4 under passed but these are not need in the project, so requested please minimize the levies cost.

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशायी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद